2

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

वाद पत्र सं 11 / 2021 अन्तर्गत धारा 177 **RT Act**

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ **बनाम कर्णसिंह पुत्र जोरावर सिंह राजपूत व अन्य शेष जमाबंदी**

आदेश दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.09.2021	यह दावा अन्तर्गत धारा 177 **RT Act** के तहत तहसीलदार सूरजगढ द्वारा प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी प्रस्तुत सम्मन तलबाना पर जरिये तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 01.10.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ	
1/10/21	पत्रावली पेश हुई। सरकारी पैरोकार उपस्थित। सरकारी पैरोकार ने बताया कि राजस्व सेवा परिषद संघ द्वारा कार्य बहिस्कार होने के कारण व्यक्तिशः तामील करवाया जाना सम्भव नहीं हैं इसलिए तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा, पंचायत समिति नोटिस बोर्ड एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड तथा नगरपालिका नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामील पत्रावली किया गया । प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिए जाते है कि उक्त समस्त नोटिस बोर्डों पर नोटिस चस्पा किये जाये तथा चस्पानगी की रिपोर्ट तारीख पेशी में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली वास्ते तामील दिनांक 28/10/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ	
28/10/21	पत्रावली पेश हुई। सरकारी पैरोकार उपस्थित। सरकारी पैरोकार नेतहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा, पंचायत समिति नोटिस बोर्ड एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड तथा नगरपालिका नोटिस बोर्ड पर तामील नोटिस चस्पानगी की रिपोर्ट पेश की जो शामील पत्रावली की गई। तामील पर्याप्त है परन्तु नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय में अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26/11/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ	

26/11/21 पत्रावली पेश हुई । PO मारन प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 में व्यस्त है । प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं । पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 02-12-21 को पेश हो ।

02/12/21 पत्रावली पेश हुई । प्रतिवादीगण/ अप्रार्थीगण की जवाब अप्राप्त । नैसर्गिक न्याय में अन्तिम अवसर दिया जाता है । पत्रावली वास्ते जवाब दि. 10-12-21 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

10/12/21 पत्रावली पेश हुई । प्रतिवादी की ओर से श्री प्रमोद पूनियाँ एड. ने वकालतनामा पेश किया । प्रतिवादी ने पूर्व में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसके बतलाया की उक्त भूमि का कृषि रूपान्तरण करवा रखा है जिस पर Conversion शाखा से रिपोर्ट ली गई जिसमें बताया गया की कार्यालय के क्रमांक राजस्व/2019/1253-56 दिनांक 18/12/2019 को कृषि भूमि का रूपान्तरण करवा लिया गया है । वकील प्रतिवादी ने भी उपस्थित होकर दो एक किता दस्तावेज प्रस्तुत किये जिसमें रूपान्तरण आदेश शामिल है । अतः वाद-वादीगण को खारीज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखील दफ्तर हो ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़